न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 102/2017 अपील

1.श्री गोपी पिता लच्छु बैरवा निवासी थोरिया खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी		– प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार, रायपुर बमामले
प्रकरण सं0 12 /2017 निर्णय दिनांक 20.09.2017

उपस्थित –
1. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषाक – प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार रायपुर को बमामलें प्रकरण सं. 12/2017 निर्णय दिनांक 20.09.2017 के खिलाफ दिनांक 13.10.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने ग्राम थोरिया खेडा की आराजी सं. 115 रकबा 0.79 हैक्ट. किस्म गे.मु. रास्ता में से 0.01 हैक्ट. भूमि पर अपीलार्थी ने अतिकमण कर लिया हैं, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का नोटिस अपीलार्थी को जारी किया जिसमें खसरा नं. 111 पर अतिचार करने बाबत् उल्लेख किया गया हैं। दिनांक 08.09.2017 और दिनांक 20. 09.2017 की पेशी पर अपीलार्थी उपस्थित हुआ और जवाब पेश करने के लिये निवेदन किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन फैसला कर 30 दिन के साधारण कारावास एवं 50/–रू. शास्ति लगाकर दण्डित कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून, न्याय व नियम के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं । जिस जगह पर अपीलार्थी का अतिकमण बताकर कार्यवाही की गयी , उस स्थान पर पूर्वजों के समय से ही रोडी बनी हुयी हैं। अपीलार्थी की तरह ही अन्य कई व्यक्तियों की रोडियां वहां बनी हुयी हैं । रोडियों की यह जगह रास्ते की जमीन में नहीं आकर रास्ते के किनारे पर हैं । मौके पर रास्ता काफी चौड़ा हैं। फिर भी अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार उक्त रोडी हटा लिया हैं और कोई अतिकमण नही रहा हैं , जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारावास की जो सजा दी गयी हैं, उसे अपास्त कराया जाना आवश्यक हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर सिविल कारावास से दण्डित करने का जो आदेश पारित किया हैं, वह विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय हैं, क्योंकि पूर्व में कभी भी अपीलार्थी व आस पास की रोडियों वालों

को बेदखल नहीं किया गया था और पूर्व में इनके विरूद्व जो कार्यवाही चलना बताया गया है उसकी कोई सूचना कभी भी नहीं मिली और ऐसा कोई रिकार्ड भी पत्रावली में पेश नहीं हुआ हैं, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि पूर्व में अतिक्रमण हटा लिये जाने के बावजूद उक्त भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर लिया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व अन्य निष्पक्ष गवाहान के शपथ पर कोई बयान नहीं लेकर केवल पटवारी की रिपोर्ट पर ही बेदखली व सजा का जो आदेश दिया हैं वह विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो जवाब पेश करने का कोई अवसर दिया और न ही साक्ष्य पेश करने का कोई मौका दिया गया और एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर बेदखली व कारावास का जो आदेश पारित किया गया , वह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं । अपील अन्दर अवधि एक माह में प्रस्तुत हैं । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कराया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.10.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिस जगह पर अपीलार्थी का अतिक्रमण बताकर कार्यवाही की गयी , उस स्थान पर पूर्वजों के समय से ही रोडी बनी हुयी हैं। अपीलार्थी की तरह ही अन्य कई व्यक्तियों की रोडियां वहां बनी हुयी हैं । रोडियों की यह जगह रास्ते की जमीन में नहीं आकर रास्ते के किनारे पर हैं । मौके पर रास्ता काफी चौड़ा हैं। फिर भी अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार उक्त रोडी हटा लिया हैं और कोई अतिक्रमण नही रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास से दण्डित करने का जो आदेश पारित किया हैं, वह विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय हैं, क्योंकि पूर्व में कभी भी अपीलार्थी व आस पास की रोडियों वालों को बेदखल नहीं किया गया था और पूर्व में इनके विरूद्व जो कार्यवाही चलना बताया गया है उसकी कोई सूचना कभी भी नहीं मिली और ऐसा कोई रिकार्ड भी पत्रावली में पेश नहीं हुआ हैं, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि पूर्व में अतिक्रमण हटा लिये जाने के बावजूद उक्त भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर लिया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व अन्य निष्पक्ष गवाहान के शपथ पर कोई बयान नहीं लेकर केवल पटवारी की रिपोर्ट पर ही बेदखली व सजा का जो आदेश दिया हैं वह विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो जवाब पेश करने का कोई अवसर दिया और न ही साक्ष्य पेश करने का कोई मौका दिया गया और एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर बेदखली व कारावास का जो आदेश पारित किया गया , वह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं । निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान किया जावे ।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि पटवारी हल्का थोरिया खेडा द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व ग्राम थोरिया खेडा तहसील रायपुर की आराजी नं0 115 रकबा 0.79 हैक्ट. भूमि किस्म गे.मु. रास्ता में से 0.01 हैक्ट. भूमि पर

अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 50/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपील मेमों में प्रस्तुत कथन के संबंध में नायब तहसीलदार रायपुर स्वयं अतिक्रमणसुदा भूमि का मौका निरीक्षण कर यह सत्यापन करे कि अतिक्रमी गोपी पिता लच्छु बैरवा निवासी थोरिया खेडा तहसील रायपुर द्वारा ग्राम थोरिया खेडा तहसील रायपुर की आराजी सं. 115 रकबा 0.79 हैक्ट. किस्म गे.मु.रास्ता में से 0.01 हैक्ट. अतिक्रमणसुदा भूमि से मौके से कब्जा हटा लिया हैं या नहीं । यदि उक्त आराजी व क्षेत्रफल से अपीलार्थी /अतिकर्मी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है तो 30 दिन के सिविल कारावास की सजा माफ की जाना न्योयोचित है और अधीनस्थ न्यायालय का अन्य आदेश यथावत रहने योग्य हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण सं. 12 /2017 को नायब तहसीलदार रायपुर को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त होने से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आंशिक स्वीकार की जाती हैं। नायब तहसीलदार रायपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण सं. 12 /2017 में अतिक्रमी गोपी पिता लच्छु बैरवा निवासी थोरिया खेडा तहसील रायपुर द्वारा ग्राम थोरिया खेडा तहसील रायपुर की आराजी सं. 115 रकबा 0.79 हैक्ट. भूमि किस्म गे.मु. रास्ता में से 0.01 हैक्ट. भूमि पर मौके से कब्जा हटा लिया हैं या नहीं उसका सत्यापन स्वयं करें । यदि उक्त आराजी व क्षेत्रफल से अपीलार्थी /अतिकर्मी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है तो 30 दिन के सिविल कारावास की सजा माफ की जाती हैं व अन्य आदेश यथावत रहेगें । यदि अतिक्रमण हटाया जाना प्रमाणित नहीं होता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 12 /2017 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 यथावत रहेगें । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रायपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा